

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, मुख्यपीठ जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक C/4370/

जबलपुर, दिनांक 01/09/2022

निम्नलिखित चयनित अभ्यर्थियों परसनल असिस्टेंट के पद पर वेतनमान रुपये 9300- 34800 + ग्रेड पे रु. 3600/- (7 वें वेतनमान में लेवल 9 पे मेट्रीक्स 36200-114800) पर नियमानुसार समय-समय पर देय भत्तों सहित परीवीक्षा पर 2 वर्ष के लिये निम्नांकित शर्तों के अधीन उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश में उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई स्थापना पर अस्थाई एवं स्थानापन्न रूप से आगामी आदेश पर्यन्त उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	नाम	पदस्थापना का नाम
1.	श्री हिमांशु कोष्टा आत्मज श्री राजकुमार कोष्टा	मुख्यपीठ जबलपुर
2.	श्री दिव्यांशु शुक्ला आत्मज श्री हृदयेश शुक्ला	खंडपीठ इंदौर
3.	कृ. आरथा सक्सेना आत्मजा स्व. श्री विमल सक्सेना	खंडपीठ इंदौर
4.	कृ. बहार चावला आत्मजा श्री नीरज चावला	खंडपीठ इंदौर
5.	श्री विजय त्रिपाठी आत्मज श्री वेद पति त्रिपाठी	खंडपीठ ग्वालियर
6.	कृ. चेतना बेहरानी आत्मजा श्री धनश्याम बेहरानी	खंडपीठ ग्वालियर
7.	श्री अविनाश भार्गव आत्मज श्री महेश भार्गव	खंडपीठ ग्वालियर
8.	कृ. अनुश्री पान्डेय आत्मजा श्री सुधीर पान्डेय	खंडपीठ इंदौर
9.	श्री वतन श्रीवास्तव आत्मज श्री विपिन श्रीवास्तव	खंडपीठ इंदौर
10.	कृ. श्रुति झा आत्मजा श्री सुधांशु झा	खंडपीठ इंदौर
11.	श्री विशाल उपाध्याय आत्मज श्री रविन्द्र नाथ उपाध्याय	खंडपीठ ग्वालियर
12.	श्री अदनान हुसैन अंसारी आत्मज श्री अब्दुल रब अंसारी	खंडपीठ ग्वालियर
13.	श्री प्रमोद कुशवाहा आत्मज श्री बाबूलाल कुशवाहा	खंडपीठ इंदौर
14.	कृ. चाँदनी नरवरिया आत्मजा श्री गोपाल सिंह नरवरिया	खंडपीठ ग्वालियर
15.	कृ. शिल्पा नागदेवे आत्मजा श्री सुशील नागदेवे	खंडपीठ इंदौर
16.	श्री सत्यम मेहरा आत्मज श्री सुरेश	खंडपीठ इंदौर

✓


1. यह कि, वे शपथ लें कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा व सच्ची निष्ठा रखेंगे।
2. यह कि चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र दो प्रतियों में एवं पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रतियों में तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी स्वस्थ्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पुलिस वैरिफिकेशन हेतु अनुप्रमाणन फार्म उच्च न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड है।
3. यह कि चयनित अभ्यर्थी को इस निर्देश के साथ कि वे 15 दिवस के अंदर संबंधित पदस्थापना (मुख्यपीठ जबलपुर, खण्डपीठ इंदौर/ग्वालियर) के कार्यालय में उपस्थित होकर किसी कार्य दिवस पर निर्धारित प्रपत्र में इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करें कि उन्हें कभी भी किसी भी आपराधिक मामले में गिरफ्तार नहीं किया गया है या किसी भी पुलिस थाने या न्यायालय में भारतीय दण्ड संहिता अथवा अन्य किसी विधि के अधीन किसी भी प्रकार कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं हुआ है और न ही ऐसा कोई मामला लंबित है तथा किसी भी अपराध के लिये न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है और न ही शासकीय सेवा में चयन हेतु वर्जित किया गया है, यह कि आज दिनांक तक उन्हें किसी भी विश्वविद्यालय या किसी भी अन्य शैक्षणिक प्राधिकरण/संस्था द्वारा किसी भी परीक्षा में बैठने से वर्जित नहीं किया गया है, और न ही निष्कासित किया गया है। यह कि उन्होंने भर्ती प्रक्रिया में जो भी जानकारियाँ दी हैं एवं दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं वे पूर्णतः सत्य व सही हैं। यदि प्रस्तुत जानकारी एवं दस्तावेज असत्य पाये जाते हैं तो उनकी सेवा तत्काल समाप्त की जा सकेगी तथा उनके विरुद्ध असत्य शपथपत्र प्रस्तुत करने के लिये भी आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जा सकेगा जो उन्हें स्वीकार एवं मान्य होगा यदि चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य पाया जाता है तो उनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व उनका होगा।
4. यह कि, वे समस्त दस्तावेज जिनकी प्रतियां पूर्व में प्रस्तुत की गई थी की मूल प्रतियों को लेकर उपस्थित होंगे। यदि पदभार ग्रहण करते समय दस्तावेजों के परीक्षण में यह पाया गया कि अभ्यर्थी अनिवार्य योग्यताएं धारण नहीं करते हैं तो यह आदेश उसके संबंध में तत्काल प्रभाव से निरस्त माना जावेगा।
5. यह कि, चयनित अभ्यर्थी को स्वयं के व्यय पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा स्वस्थ्यता परीक्षण का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त शारीरिक एवं मानसिक स्वस्थ्यता का प्रमाण-पत्र प्रतिकूल होने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयंमेव निरस्त माना जावेगा।

6. यह कि, वे बिना पूर्वानुमति के कोई अग्रिम शैक्षणिक अध्ययन नहीं करेंगे और न ही उससे संबंधित किसी परीक्षा में सम्मिलित होंगे। चयनित अभ्यर्थी को स्वाध्यायी छात्र के रूप में भी किसी शैक्षणिक अध्ययन करने या परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
7. यह कि, आवेदन पत्र के साथ संलग्न प्रमाण पत्रों के तथ्यों को छिपाये जाने, कूटरचित या फर्जी पाये जाने या अन्य किसी भी कारण से गलत पाये जाने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त मानी जावेगी।
8. यह कि, उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी समय बिना कारण बताये समाप्त की जा सकेंगी और यदि वे सेवा से पृथक होना चाहेंगे तो उन्हें एक माह पूर्व सूचना देनी होगी अथवा सूचना के अभाव में एक माह के वेतन भत्तों के बराबर राशि नगद जमा करनी होगी।
9. यह कि, किसी अन्य विभाग में नौकरी के लिए आवेदन देने के पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा, बिना अनुमति के सीधे आवेदन पत्र भेजे जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
10. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के पश्चात् 15 दिवस अथवा उच्च न्यायालय द्वारा बढ़ाई गई समय सीमा के अंदर कार्यभार ग्रहण न करने पर नियुक्ति स्वयंमेव निरस्त समझी जावेगी।
11. अभ्यर्थी को लिखित रूप से अभिस्वीकृति देनी पड़ेगी कि उसे उपर्युक्त सभी शर्तें मान्य हैं और भविष्य में समय-समय पर जो भी संशोधन अथवा जो भी परिवर्तन होंगे वे भी उसे मान्य होंगे।
12. अभ्यर्थी से इन सभी शर्तों में लिखित स्वीकृति जो कि दो साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित हों, प्राप्त होने पर ही नियुक्ति आदेश प्रभावशील माना जावेगा।
13. यह कि, चयनित अभ्यर्थी पाँच वर्ष तक स्थानान्तरण के संबंध में कोई आवेदन-पत्र प्रस्तुत नहीं करेगा किन्तु विशेष परिस्थितियों में माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय द्वारा निर्धारित अवधि के पूर्व स्थानान्तरण संबंधी आवेदन पत्रों पर विचार किया जा सकेगा।

//4//

14. यह कि, चयनित अभ्यर्थी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्यता का प्रमाण- पत्र, शपथ-पत्र एवं मूल प्रमाण-पत्रों के परीक्षण उपरांत संतुष्ट होने पर ही उन्हें कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जावेगी।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय
के आदेशानुसार


01.09.2022

(रामकुमार चौबे)
रजिस्ट्रार जनरल

Bar

जबलपुर, दिनांक 01/09/2022

पृष्ठांकन क्रमांक—C/4371—/


प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश खंडपीठ इंदौर, की ओर इस अनुरोध के साथ कि नवनियुक्त पर्सनल असिस्टेंट का वेतन उनकी स्थापना पर रिक्त सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पद के विरुद्ध आहरित करने हेतु।
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म.प्र.), की ओर इस अनुरोध के साथ कि नवनियुक्त पर्सनल असिस्टेंट का वेतन उनकी स्थापना पर रिक्त सीनियर पर्सनल असिस्टेंट के पद के विरुद्ध आहरित करने हेतु।
3. रजिस्ट्रार (प्रशासन)/(न्यायिक 1 एवं 2)/(डी.ई.)/(आई.एल.)/(सतर्कता)/एकजाम एंड लेबर ज्यूडिशियरी, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
4. रजिस्ट्रार (एम)/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
5. ओ.एस.डी.....समस्त, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
6. एस.पी.एस.ए. (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर इस अनुरोध के साथ कि आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाईड पर अपलोड कराने हेतु
7. कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय, जबलपुर, इंदौर एवं ग्वालियर
8. ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
9. डिप्टी रजिस्ट्रार(एम.).....(समस्त), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. असिस्टेंट रजिस्ट्रार (एम.).....(समस्त) उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
11. एडमिनिस्ट्रेटिव आफीसर (न्या.) स्थापना/लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,

12. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
13. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, न्यायिक/सतर्कता/एकजाम एवं आई. एल. आर महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर, -
14. सहायक स्थापना/अवकाश/लेखा/बजट/पेंशन/सेवापुस्तिका/वेतन पत्रक/डी.पी.एफ., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
15. उपस्थिति लिपिक, उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर,
16. Shri Himanshu Koshta S/o Shri Rajkumar Koshta, H.no. 256, Krishna Colony, Infront of Hanuman Temple, Trimurti Nagar, Damohnaka, Jabalpur (M.P.) 482002
17. Shri Divyansh Shukla S/o of Shri Hradyesh Shukla, Plot No. BM 20, Krishna City, Karmeta Ward No.73, katanji Road, Jabalpur , (M.P.) 482002
18. Ku. Aastha Saxena D/o Late Shri Vimal Saxena, H.No. 447/A, Ramnagar Colony, Rampur, Jabalpur(M.P.) 482008
19. Ku. Bahar Chawla D/o Shri Neeraj Chawla, H.No. 5, Pragati Homes, Hathital Colony, Near Hathital Post Office, Jabalpur (M.P.)482001
20. Shri Vijay Tripathi S/o Shri Ved Pati Tripathi, 100 A/T, Mahendra Nagar, Transport Nagar, Dhoomanganj, Prayagraj (U.P.)211011
21. Ku. Chetna Behrani D/o Shri Ghanshyam Behrani, Plot No. 87, Gurunanakpura, Raja Park, Jaipur (Rajasthan) 302004
22. Shri Avinash Bhargav S/o Shri Mahesh Bhargav, H.No. 556-A, Suresh Nagar, Thatipur, Gwalior (M.P.) 474011
23. Ku. Anushree Pandey D/o Shri Sudhir Pandey, H.No. 830, Near Chhoti Maszid, Garha Pathak, Jabalpur (M.P.)482001
24. Shri Vatan Shrivastava S/o Shri Vipin Shrivastava, H.No.1004, Gali No. 16/17 Near Ryan School, Shanti Nagar, Jabalpur (M.P.) 482002
25. Ku. Shruti Jha D/o Shri Sudhanshu Jha, Plot No. 446, "Jai Mata Di", Shakti Nagar, Gupteshwar, Jabalpur (M.P.) 482001

//6//

26. Shri Vishal Upadhyay S/o Shri Ravindra Nath Upadhyay, Vivek Nagar, Rewa Road, Dr. Radha Krishnan Ward-19, Maihar, Satna (M.P.)485771
27. Shri Adnan Hussain Ansari S/o Shri Abdul Rub Ansari, Durga Nagar, Katra Abdul Hameed Ward, Jabalpur (M.P.) 482004
28. Shri Pramod Kushwaha S/o Shri Babulal Kushwaha, H.No. 980/2, South Civil Lines, Behind S.P. Bungalow, Jabalpur (M.P.)482001
29. Ku. Chandni Narawariya D/o Shri Gopal Singh Narawariya, B-25, Bank Colony, Gole ka Mandir, Gwalior (M.P.) 474005
30. Ku. Shilpa Naagdeve D/o Shri Susheel Naagdeve, Nai Basti, Subhash Nagar, Jhanda Chowk, Ranjhi, Jabalpur (M.P.) 482005
31. Shri Satyam Mehra S/o Shri Suresh, Vill-Gotegaon kheda, Teh & post-Gotegaon, Dist. Narsinghpur (M.P.)487118


(यू. एस. दुबे)
ओ.एस.डी.-कम-पी.पी.एस.
faw